देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इंदौर – 452 001

अतिआवश्यक

पृ.पत्र क्र. प्रशा./छात्रवृत्ति निःश.विद्यार्थी/939 दिनांक 12 DEC 2024

विषय :– सत्र 2024–25 में एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्ति एवं निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता योजना के आवेदन के संबंध में।
(छात्रवृत्ति के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन के लिए विज्ञप्ति दिनांक 30.11.2024 को समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुकी है।)

सन्दर्भः– उ.शि.वि.के पत्र क्र. 1228/166/आउशि/छा/2024/दिनांक 04.12.2024.

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख,समस्त अध्ययनशालाऐं/संस्थान/देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुडा भवन भोपाल-462004
Email:- heschlor@mp.gov.in

क्रमांक 1228/ 166 /आउशि/छा/2024 भोपाल दिनांक 04/12/2024

प्रति,

1 कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

2 प्राचार्य
समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

568
04/12/2024

DRAdm
AR (Gen)
4.12

विषय:- सत्र 2024-25 में एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्ति एवं नि:शक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता योजना के आवेदन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2024-25 में एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्ति एवं नि:शक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता योजना के लिए छात्रवृत्ति के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन के लिए विज्ञप्ति दिनांक 30.11.2024 को समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुकी है।

कृपया योजना के संबंध में महाविद्यालय में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को जानकारी देने हेतु प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- विज्ञापन प्रारूप एवं मार्गदर्शिका

(आर.के. स्वामी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ.क्रमांक 1229/ 166 /आउशि/छा/2024 भोपाल दिनांक 04/12/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग नवीनीकरण के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर समय सीमा में जानकारी/मांग पत्र प्रेषित कर करने का कष्ट करें।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, म.प्र.

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
प्रशासन
आवक क्र. 1196
दिनांक 5 DEC 2024

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
सतपुडा भवन, भोपाल 462004

//विज्ञापन//

राज्य शासन की एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्तियॉ वर्ष 2024–25

में छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र आंमंत्रित किये जाते हैं । **जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।** छात्रवृत्तियों के आवेदन संस्था प्रमुखों के माध्यम से नीचे दिये गये पते पर दी गई समय सीमा में प्राप्त हो जाने चाहिए पात्रता/शर्तें निम्न है:–

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. तथा म.प्र. के विश्वविद्यालयों से वर्ष 2024–25 में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं को ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता होगी।
2. यह छात्रवृत्तियॉ केवल सामान्य शिक्षा के छात्रों के लिये दी जाती है ।
3. सामान्य शिक्षा के लिये स्वीकृत एकीकृत छात्रवृत्ति, व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश पाने पर स्थानांतरित नहीं की जावेगी ।
4. संस्कृत छात्रवृत्ति के लिये केवल प्राच्य पद्वति के संस्कृत महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं के ही आवेदन मान्य किये जावेंगे ।
5. एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 54,000/से अधिक न हो । **(छात्र–छात्राओं का स्वयं का आय प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में मान्य करने योग्य नहीं होगा)**
6. वेतन भोगी अधिकारी/कर्मचारी अभिभावकों को आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिये ।
7. अन्य आय वर्गीय व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "एक" बेबसाईट पर अपलोड किया गया है) ।
8. छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र **संस्था प्रमुखों के माध्यम से समय सीमा में** कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिये । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा ।
9. इच्छुक छात्र–छात्रायें छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो वह जिस संस्था में अध्ययनरत हों उसके संस्था प्रमुख/प्राचार्य से आवेदन पत्र विधिवत अग्रेषित कराकर सीधे भी इस कार्यालय को निर्धारित समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।
10. चाही गई छात्रवृत्ति का नाम **आवेदन के उपरी भाग में बडे अक्षरों में लिखें।**
    नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र सहपत्रों सहित संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश को भेजें अन्यथा छात्रवृत्ति न मिलने की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
11. अग्रेषणकर्ता संस्था प्रमुख द्वारा **आय सीमा से अधिक के आवेदनों पर बडे अक्षरों में आय सीमा की बडी रबर मोहर आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर लगायें ।**
12. शोध छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि (वित्तीय वर्ष बजट अप्रैल माह से) तीन वर्ष तक **(10 माह प्रति वर्ष के हिसाब से) अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की दिनॉक तक जो भी पहले हो देय होगी ।** विश्वविद्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य होगा साथ ही यदि कोई आवेदक पूर्व से शोधरत है तो तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन शोध की शेष (चयनित अवधि) के लिये छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जा सकेगा ।

निरतंर—2

13. संकायवार छात्रवृत्ति का विवरण निम्नानुसार है :–

स. क्र.	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र/छात्रायें	कोटा	राशि प्रतिमाह	निर्धारित अर्हता
1.	शोध	विज्ञान कला वाणिज्य	9 7 2	600/–	1.म.प्र. में किसी विश्वविद्यालय में शोधकार्य के लिये पंजीयन आर.डी.सी.में साक्षात्कार के उपरांत किया हो । 2.पी.जी. में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
2.	एम.फिल.	विज्ञान कला वाणिज्य	7 6 1	500/–	स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
3.	स्नातकोत्तर योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	500/–	वर्ष 2023–24 में स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
4.	स्नातकोत्तर योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	500/–	वर्ष 2023–24 में अपनी स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
5.	खेलकूद	छात्र छात्रायें	11 11	300/–	जो छात्र/छात्रायें म.प्र. की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल मे रहे हो या जो प्रदेश की व्यस्क टीम में हो या प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों मे से किसी पर रहे हों ।
6.	स्नातक योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	300/–	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2023–24 में 60 प्रतिशंत अंक प्राप्त हों ।
7.	स्नातक योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	300/–	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2023–24 में 55 प्रतिशंत अंक प्राप्त हों ।
8.	फिल्म एवं ,दूरदर्शन संस्थान पुणे	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्र/छात्राओं प्रति, प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर ।
9.	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्र/छात्राओं प्रति, प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के, संचालक की अनुशंसा पर ।
10.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्र/छात्राओं प्रति, प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर ।

निरतंर——3

11.	संस्कृत छात्रवृत्तियॉं	1.स्नातकोत्तर (एम.ए. क्लासिक)	07	300/—	वर्ष 2023—24 को उपाधि परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		2.आचार्य	07	300/—	वर्ष 2023—24 में शास्त्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।
		3.स्नातक (बी. ए.क्लासिक)	11	300/—	10+2 की वर्ष 2023—24 की परीक्षा में या उसके समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		4. शास्त्री	18	300/—	10+2 की वर्ष 2023—24 की परीक्षा में या उसके समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		5.उत्तर मध्यमा	33	300/—	पूर्व मध्यमा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।
		6. पूर्व मध्यमा	33	300/—	प्रथमा अथवा समकक्ष में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।
		7.प्रथमा	91	300/—	पॉंचवी परीक्षा मे योग्यता के आधार पर प्रथम 91 छात्र—छात्राओं को

टिप्पणी

1. उपरोक्त जानकारी बेबसाईट **www.highereducation.mp.gov.in**पर उपलब्ध हैं। साथ ही संबंधित संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं प्राचार्य शासकीय महाविद्यालयों से भी प्राप्त की जा सकती है ।

2. आवेदन पत्र आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश , सतपुडा भवन, भोपाल को समय सीमा में प्राप्त हो जाना चाहिये । **विलम्ब से प्राप्त आवेदन अमान्य किये जायेंगे । इस हेतु संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।**

इस संदर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल में पदस्थ **प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति से भी दूरभाष कमॉंक 0755—2551573 पर संपर्क किया जा सकता है ।**

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

निरतंर——4

नवीन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

छात्र–छात्रा का फोटो अभिप्रमाणित

एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्ति नियम (पुनरीक्षित) की छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र

वर्ष 2024–25

आवेदित छात्रवृत्ति का नाम.......................................

1	पूरा नाम श्री/श्रीमती/कु	
	कक्षा जिसमें प्रवेश लिया	
2	पिता का नाम	
	यदि पिता जीवित न हों तो अभिभावक/पालक का पूरा नाम व पता	
	विद्यार्थी का पता स्थायी	
	पत्र व्यवहार का पता	
	पत्र व्यवहार का पता	
	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	
	बैंक खाता क्रं.	
	बैंक का नाम	
	बैंक का आई.एफ.सी.कोड नं0	
	आधार कार्ड नं0 एवं छायाप्रति	
3	माता/पिता/पालक/ छात्रों की समस्त स्त्रोंतो से नवीनतम कुल वार्षिक आय (कर्मचारियों की आय मूल वेतन के आधार पर)	

संस्था का नाम	प्रवेश की तिथि	छोडने की तिथि	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)

3	विगत वर्ष में उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का नाम	
	विद्यालय का नाम जिस परीक्षा में बैठा	
	परीक्षा के कुल पूर्णांक	
	प्राप्त अंक **(अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जावे)**	
	प्रतिशत (आवश्यक रूप से दर्शाये)	
5	उस संस्था का नाम जिसमें शिक्षा वर्ष के लिये प्रवेश लिया गया है ।	
	आवेदक के प्रवेश की सही तिथि	
	प्रवेश लिये गये पाठ्यक्रम का नाम तथा पाठ्यक्रम की अवधि	

6	क्या आवेदक छात्रावासी है (यदि हाँ तो वार्डन का प्रमाण संलग्न किया जावे)	
7	क्या अन्य कोई छात्रवृत्ति मिल रही है का उल्लेख करें।	

मैं एतद द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सम्पूर्ण विवरण की दर्शायी गई जानकारी सही है।

स्थान :– ....

दिनांक :–.......................... **आवेदक के हस्ताक्षर**

मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि यदि आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया गया तो मैं सम्पूर्ण समय अध्ययन कम मे लगाऊंगा/लगाऊंगी और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोत से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी ।

स्थान :– ....

दिनांक :–.......................... **आवेदक के हस्ताक्षर**

(09) मैं ....घोषित करता हूँ/करती हूँ कि समस्त स्त्रोतों से मेरी एवं मेरी पत्नी की वार्षिक आय कमशः रूपये (अंकों में)..............................रूपये (शब्दों) में ....है।

आवेदक के पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

(10) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार छात्र ....के माता पिता की वार्षिक आय कमशः रूपये (अंकों में)..........................रूपये (शब्दों) में ....हैं।

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम और पद एवं सील

11. **संस्था के प्रमुख का प्रमाण पत्र :–**

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....को दिनांक .... को कक्षा..............................में नियमित पूर्णकालीन ....विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिया गया था और उसका अध्ययन जारी है । मैने इस फार्म की प्रविष्टियों की जॉच कर ली है और वे सही हैं ।

(2) इस संस्था मे प्रवेश के लिये छात्र/छात्रा द्वारा उसके आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये आचरण प्रमाण पत्र के आधार पर मैं भी यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उसने इसके पहले किसी भी विध्वंसक कार्यवाही जिसमें हड़ताल भी शामिल है ,में भाग नही लिया था और उसका आचरण अच्छा है ।

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी ....छात्रावासी हैं/नहीं है ।

....

स्थानः– संस्था प्रभारी का नाम/संस्था का नाम/हस्ताक्षर तथा
सील दिनांक :–

अभिप्रमाणित सहपत्रों (दस्तावेजों)की सूची :–

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	(6)

घोषणा

1. मैं एतद द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र मे मेरे द्वारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य हैं ।

2. मै यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरा आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया जाता है तो **मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से शोध कार्य मे संलग्न रहूँगा /रहूँगी और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोतो से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी ।**

3. मै यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मै कोई सेवा या व्यवसाय आदि नही करूंगा/करूंगी ।

4. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा **शोध अवधि में कही नौकरी/व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर अर्थात घोषणा पत्र में दी गई शर्तों के विपरीत कार्य करने पर शासन द्वारा शोध छात्रवृत्ति. हेतु दी गई राशि को वापिस करूंगा/करूंगी ।**

स्थान :– आवेदक के हस्ताक्षर

दिनॉक :–

संलग्न सहपत्रों की संख्या:–

विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

(सिर्फ शोध विद्यार्थियों के लिये)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....को दिनॉक .... को पी.एच.डी. ....में नियमित/पूर्णकालीन छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया है और इनका शोध कार्य अभी जारी है । मैंने इस आवेदन पत्र पर प्रविष्टियों की जॉच कर ली है वे सही है ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उक्त शोधार्थी का कार्य, व्यवहार एवं आचरण अच्छा/उत्तम कोटि का है । यह छात्र/छात्रा कहीं से अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही है । शोध कार्य हेतु निरन्तर उपस्थिति है ।

(सिर्फ शोध विद्यार्थियों के लिये)

कुल सचिव/संस्था प्रमुख का नाम/
हस्ताक्षर एवं सील

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
सतपुडा भवन, भोपाल 462004

शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में निःशक्त जन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता देने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत्।

योजना वर्ष 2024–25

राज्य शासन के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों मे कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में निःशक्तजन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता देने का वर्ष 2009–10 से निर्णय लिया है यह योजना सतत है, जो निरन्तर चलेगी । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 के लिये नियम/मार्गदर्शी सिध्दांत निम्नानुसार हैं :–

1.पात्रताः–ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।

अ. जिसने कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो।

ब.. 10+2 शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल से नियमानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों ।

स.. अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति–प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया गया हो ।

द. छात्र–छात्राओं के पालकों की आय सीमा म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित रूपये 1,00,000/–वार्षिक (रूपये एक लाख) की अधिकतम सीमा से अधिक न हो। **(छात्र–छात्राओं का स्वयं का आय प्रमाण–पत्र किसी भी स्थिति में मान्य करने योग्य नहीं होगा) ।**
विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "एक" बेबसाईट पर अपलोड किया गया है) ।

य. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो जिसके प्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "एक" बेबसाईट पर अपलोड किया गया है) ।

र. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो। जिसमें छात्र–छात्राओं की निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य होगा ।

ल. निःशक्त छात्र–छात्रा को म.प्र. स्थित शासकीय महाविद्यालयों में ही नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक होगा ।

व. निर्धारित कोटे के अनुसार आरक्षित वर्ग के छात्रों को जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ते की पात्रता होगी ।

2. निर्वाह एवं परिवहन भत्ता राशि–निम्नानुसार प्रदान की जावेगीः–

अ– कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में ली जाने वाली फीस ।
ब– रूपये 1,500/–प्रतिमाह निर्वाह भत्ता ।
स– नगर निगम क्षेत्र में 500/– तथा नगर पालिका क्षेत्र में 300/– रूपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता ।

3. विद्यार्थी, जिस शिक्षा के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता प्राप्त करेगा, उसके लिये वह अन्य छात्रवृत्ति अथवा भत्ते प्राप्त नहीं करेगा, यदि उसे पूर्व से ही कोई छात्रवृत्ति अथवा भत्ते प्राप्त हो रहें हो तो इन भत्तों को प्राप्त करने के लिये पूर्व से प्राप्त भत्ते या छात्रवृत्ति छोडनी पडेगी । अर्थात केवल एक समय में एक ही छात्रवृत्ति राशि एक ही विभाग से प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. नियमित विद्यार्थी अध्ययनरत पाठ्यक्रम के किसी सेमेस्टर अथवा वर्ष मे अनुत्तीर्ण हो जाता हैं तो उसी सेमेस्टर एवं वर्ष के लिये दोबारा अध्ययन करने हेतु शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्तों के पात्र नहीं होगें । परन्तु अनुत्तीर्ण सेमेस्टर/सेमेस्टर वर्ष में पुनः परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अगले सेमेस्टर/ वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत होने पर चालू शिक्षण सत्र में शिक्षण शुल्क एवं निर्वाह/परिवहन भत्ता को प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

5. चयन प्रकिया :–

अ. कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने के लिये केवल विद्यार्थीयों की संख्या की सीमा में (10+2) स्तर पर प्राप्त शिक्षा के प्राप्तांकों की मैरिट के आधार पर बनायी गई चयन सूची में क्रमानुसार छात्रों का चयन होगा ।

ब.. कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु 2000 विद्यार्थीयों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते हुए विद्यार्थीयों को निर्धारित राशियों का भुगतान किया जावेगा ।

स.. इस योजना का कियान्वयन उच्च शिक्षा के मध्यप्रदेश में स्थित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के कार्यालय द्वारा किया जावेगा ।

द.. योजना की समीक्षा, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक व जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निश्चित अवधि में उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित की जावेगी ।

6. आवेदन प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत करने की प्रकिया

अ निःशक्त छात्र–छात्रा आवेदन अपने सबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में सबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करेंगे।

ब. म.प्र. के बाहर शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपने आवेदन–पत्र सस्था प्रमुख/प्राचार्य के माध्यम से प्रमाणित कराकर आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल को विनियम/अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा।

स. निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एंव प्रबंधन में ली जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता के लिये प्रतिवर्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, एवं पूर्व वर्षों में प्राप्त शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता की जानकारी देना होगी ।

द. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जॉच क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की समिति द्वारा संयुक्त रूप से की जावेगी। परीक्षण उपरांत प्राप्त आवेदकों के आवेदन पत्र इसी समिति द्वारा स्वीकृत किये जावेगें।

य. कम्प्यूटर एंव प्रबंधन में ली जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ते की राशि नगद देय न होकर अकाउंट पेई चैक के माध्यम से भुगतान की जावेगी । उक्त योजना पर होने वाला व्यय इस विभाग द्वारा, स्वीकृत बजट के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

र. **ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है ,उसमें आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा।**

07. **आवेदन** पत्र संबंधित संस्था प्रमुख से अग्रेषित कराकर संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को समय सीमा प्राप्त हो जाना चाहिये। अन्य जानकारी **www.highereducation.mp.gov.in** उच्च शिक्षा विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध है। साथ ही विभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो से भी प्राप्त की जा सकती है ।

08. **निर्धारित** तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

आवेदन का प्रारूप

शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य/पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबधन में शिक्षा ग्रहण करने के लिये जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता देने हेतु आवेदन पत्र ।

आवेदन पत्र वर्ष 2024–25

छात्र–छात्रा का फोटो अभिप्रमाणित

संकाय ....विषय............................... पंजीयन तिथि...

1.	छात्र–छात्रा का पूरा नाम	
2.	पिता/अभिभावक का पूरा नाम	
3.1.	विद्यार्थी का पता स्थायी/ पत्र व्यवहार का पता	....
3.2.	ई.मेल.आई.डी.	....
3.3	दूरभाष/मो.नं.	....
3.4	बैंक खाता क्रं.	....
3.5	बैंक का नाम	....
3.6.	बैंक का आई.एफ.सी.कोड	....
3.7	आधार कार्ड की प्रति	
4.	महाविद्यालय का पूरा नाम जिसमें आवेदक अध्ययनरत है ।	
5.	छात्र–छात्रा किस कक्षा मे अध्ययनरत है , कक्षा में प्रवेश का दिनॉक	
6.	कम्प्यूटर/प्रबधंन	
7.	छात्र–छात्रा की जन्म तिथि	
8.	शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण सत्यापित सूची संलग्न करें	
9.	निःशक्तता का प्रकार एवं निःशक्तता का प्रतिशत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें	
10.	छात्र–छात्रा का धर्म	
11.	विगत वर्ष में छात्र–छात्रा द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	
12.	विगत वर्ष में छात्र–छात्रा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्वाह एवं परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया था अथवा नहीं ।	
13.	विगत वर्ष जीवननिर्वाह एवं परिवहनभत्ता प्राप्त विद्यार्थी निम्न जानकारी दें 1. विगत वर्ष परीक्षा का नाम एवं वर्ष 2. महाविद्यालय का नाम 3. स्वीकृत शिक्षण शुल्क 4. जीवन निर्वाह भत्ते की राशि 5. परिवहन भत्ते की राशि	1.............................. 2.............................. 3.............................. 4.............................. 5..............................
14.	विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आय प्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जावे (निर्धारित परिशिष्ट "एक" बेबसाईट पर अपलोड किया गया है)	
15.	मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें, विज्ञापन अनुसार ।	

घोषणा

1. मैं एतद द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य हैं ।
2. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदित जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ते की राशि के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य में संलग्न रहूँगा/रहूँगी । और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोंतों से कोई दूसरी राशि प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी ।
3. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि में कोई सेवा या व्यवसाय आदि नहीं करूंगा/करूंगी ।
4. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा अध्ययनरत अवधि में कहीं नौकरी/व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर अर्थात घोषणा पत्र में दिये गये शर्तो के विपरीत कार्य करने पर शासन प्रति जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ते की राशि के रूप में दी गई राशि को ब्याज सहित वापिस करूंगा/करूगी ।
5. स्थान :–
6. दिनॉक :–

संलग्न :–सहपत्रों की संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर

शासकीय महाविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....आत्मज श्री/श्रीमती ....महाविद्यालय/संस्थान ....में दिनॉक ....को कम्प्यूटर/प्रबंधन...में नियमित/पूर्णकालिक छात्र–छात्रा के रूप में प्रवेश दिया गया है । मैने इस आवेदन पत्र की प्रविष्टियों की जॉच कर ली है वे सही है इनका व्यवहार एवं चरित्र उत्तम है ।

उक्त छात्र–छात्रा का उक्त कक्षा के लिये महाविद्यालय मे शिक्षण शुल्क के रूप में वर्ष ....के लिये रूपये ....शब्दों मे ....जमा किये जाने होंगें ।

संस्था प्रमुख का नाम तथा पदनाम
हस्ताक्षर एवं सील

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र.के कार्यालयीन उपयोग हेतु

प्रामाणित किया जाता है कि छात्र–छात्रा श्री /कुमारी ....आत्मज श्री/श्रीमती ....महाविद्यालय/संस्थान ....में दिनॉक ....को कक्षा ....में नियमित रूप से प्रवेश दिया गया है छात्र–छात्रा का व्यवहार/चरित्र उत्तम है । छात्र–छात्रा का उक्त कक्षा के लिए महाविद्यालय/संस्थान में ....शिक्षण वर्ष ....के लिये रूपये .... शब्दों में ....जमा किये जाने होंगे

निर्वाह भत्ता

छात्र–छात्रा को उक्त कक्षा के लिये महाविद्यालय/संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन हेतु वर्ष ....के लिये रूपये..............................शब्दों में .... निर्वाह भत्ता स्वीकृत किये जाते हैं । उक्त निर्वाह भत्ता मात्र 10 माह के लिये स्वीकृत होगा , स्वीकृत 10 माह की राशि वर्ष में दो किश्तों में अर्थात 5–5 माह की राशि संबंधित छात्र–छात्रा को देय होगी ।

परिवहन भत्ता

छात्र–छात्रा को उक्त कक्षा के लिये महाविद्यालय/संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन हेतु वर्ष ....के लिये रूपये..............................शब्दों में .... परिवहन भत्ता स्वीकृत किये जाते हैं ।उक्त परिवहन भत्ता मात्र 10 माह के लिये स्वीकृत होगा , स्वीकृत 10 माह की राशि वर्ष में दो किश्तों में अर्थात 5–5 माह की राशि संबंधित छात्र–छात्रा को देय होगी ।

नोटः– आवेदन पत्र अमान्य करने की स्थितिमें स्पष्ट कारण/टीप अंकित करें ....

स्थान | नाम एवं पदनाम

दिनॉक | हस्ताक्षर एवं सील